



शीर्षक VI कार्यक्रम शिकायत प्रक्रियाएँ

नागरिक अधिकार अधिनियम, 1964 के शीर्षक VI के अनुसार संघीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कार्यक्रमों में जाति, रंग या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव करना वर्जित है।

निम्न जानकारी कार्यक्रम, सेवाएँ और लाभ देने से संबंधित MoDOT के शीर्षक VI कार्यक्रम शिकायत प्रक्रियाओं का वर्णन करती है। ये प्रक्रियाएँ शिकायतकर्ता को औपचारिक शिकायत दर्ज करने के उसके अधिकार से वंचित नहीं करती हैं। शिकायतकर्ता को Missouri मानवाधिकार आयोग, समान रोजगार अवसर आयोग, फ़ेडरल ट्रांजिट एडमिनिस्ट्रेशन (FTA), फ़ेडरल हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन (FHWA), फ़ेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA), फ़ेडरल मोटर कैरियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (FMCSA) जैसी उचित राज्य या संघीय एजेंसी में सीधे शिकायत दर्ज करने का या किसी भी प्रकार के कथित भेदभाव, धमकी या प्रतिशोध की शिकायतों के लिए निजी परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है।

ऐसा कोई भी व्यक्ति लिखित शिकायत दर्ज कर सकता है जिसके हिसाब से उसके साथ, व्यक्तिगत रूप से या किसी विशिष्ट श्रेणी का व्यक्ति होने के कारण उसके साथ जाति, रंग या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव हुआ है:

Missouri Department of Transportation
External Civil Rights Division
Title VI Coordinator
P.O. Box 270
Jefferson City, Missouri 65102-0270

या निम्न पर ईमेल भेज सकता है:

TitleVI@modot.mo.gov

शिकायतों का शीघ्र निवारण करने के लिए भरसक प्रयास किए जाएँगे। इस प्रकार के निवारण में मदद के लिए प्रभावित पक्ष और शीर्षक VI कोऑर्डिनेटर के मध्य अनौपचारिक मीटिंग(मीटिंग्स) के विकल्प का उपयोग किया जा सकता है।

प्रक्रियाएँ

- शिकायत से निम्न आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए:
 - शिकायत लिखित में होनी चाहिए और उस पर शिकायतकर्ता(कर्ताओं) के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि शिकायतकर्ता लिखित बयान देने में असमर्थ है या नहीं दे सकता, तो मौखिक शिकायत स्वीकार की जा सकती है। शीर्षक VI कोऑर्डिनेटर शिकायतकर्ता का इंटरव्यू लेगा और मौखिक शिकायत को लिखित में बदलने में शिकायतकर्ता की मदद करेगा। सभी शिकायतों पर शिकायतकर्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
 - इसमें भेदभाव की कथित घटना होने की तिथि या वह तिथि जब शिकायतकर्ता को भेदभाव की कथित घटना के बारे में पता चला, वह तिथि जब ऐसा आचरण बंद किया गया या इस प्रकार के आचरण की नवीनतम घटना शामिल होनी चाहिए।
 - इस शिकायत में समस्याओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें, जिसमें शिकायत में पक्ष के रूप में माने गए व्यक्तियों का नाम और पद शामिल हो।
 - संघीय और राज्य कानून के अनुसार शिकायतें कथित घटना होने के 180 कैलेंडर दिवसों के भीतर दर्ज जानी चाहिए।
- शिकायत प्राप्त होने पर, शीर्षक VI कोऑर्डिनेटर क्षेत्राधिकार, शिकायत की स्वीकार्यता, अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता निर्धारित करेगा और तदनुसार शिकायत की जांच करवाएगा। ध्यान दें: FHWA निधिबद्ध कार्यक्रमों या गतिविधियों से जोड़ी जा सकने वाली किसी भी शिकायत को नागरिक अधिकार कार्यालय के FHWA मुख्यालय तक पहुँचाया जाएगा जहाँ शिकायत की तदनुसार जांच होगी। शिकायतकर्ताओं को ये प्रक्रियाएँ [यहाँ](#) मिल सकती हैं।



शीर्षक VI कार्यक्रम शिकायत प्रक्रियाएँ

3. शिकायतकर्ता को शिकायत प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर एक लिखित अभिस्वीकृति दी जाएगी कि MoDOT ने या तो शिकायत स्वीकार कर ली है या नकार दी है।
4. शिकायत को स्वीकार्यता हेतु निम्न मापदंडों की पूर्ति करनी होगी:
 - a. शिकायत कथित घटना के 180 दिनों के भीतर दर्ज की जानी चाहिए।
 - b. आरोपों में जाति, रंग या राष्ट्रीय मूल जैसे भेदभाव के निहित आधार शामिल होने चाहिए।
 - c. आरोप में संघीय-सहायता प्राप्तकर्ता, उप-प्राप्तकर्ता या कांटेक्ट की MoDOT सेवा शामिल होनी चाहिए।
5. शिकायत को निम्न कारणों से रद्द किया जा सकता है:
 - a. यदि शिकायतकर्ता शिकायत वापस लेने का अनुरोध करता है।
 - b. यदि शिकायतकर्ता शिकायत की प्रक्रिया के लिए आवश्यक अतिरिक्त जानकारी के लिए बार-बार अनुरोध करने पर भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाता है।
 - c. यदि शिकायतकर्ता का पता लगाने के लिए उचित प्रयास करने के बावजूद शिकायतकर्ता का पता नहीं चलता है।
6. MoDOT द्वारा जांच के लिए शिकायत को स्वीकार किए जाने पर शिकायतकर्ता को इस निर्णय के बारे में लिखित में सूचित किया जाएगा। शिकायत को मामला क्रमांक दिया जाएगा और इसे शिकायतकर्ता का नाम और शिकायत के आधार की पहचान के साथ डेटाबेस में डाला जाएगा।
7. ऐसे मामलों में जहाँ MoDOT शिकायत को जांच के लिए स्वीकार कर लेता है, वहाँ शिकायत स्वीकार करने के 90 कैलेंडर दिनों के भीतर शीर्षक VI कोऑर्डिनेटर या नियुक्त किया गया जांचकर्ता बाह्य नागरिक अधिकारों के निदेशक द्वारा समीक्षा किए जाने के लिए एक जाँच रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट में घटना का विस्तृत विवरण, इंटरव्यू लिए गए व्यक्तियों की पहचान, निष्कर्ष और सुझाव शामिल होंगे।
8. जाँच रिपोर्ट और इसके निष्कर्षों की समीक्षा MoDOT निदेशक या नियुक्त किए गए व्यक्ति और साथ ही बाह्य नागरिक अधिकारों के निदेशक और मुख्य परामर्शदाता के कार्यालय द्वारा की जाएगी।
9. MoDOT निदेशक या नियुक्त किया गया व्यक्ति शिकायत की प्रवृत्ति का निर्धारण करेंगे। यदि पता चलता है कि MoDOT ने शीर्षक VI विनियमों का पालन नहीं किया है, तो उपचारात्मक कार्यवाही की जाएगी।
10. निदेशक के निर्धारण के बारे में सूचना शिकायतकर्ता को मेल की जाएगी। सूचना में अपील करने के अधिकार के बारे में जानकारी और अपील की प्रक्रिया आरंभ करने के तरीके के बारे में निर्देश शामिल होंगे। अपील की सूचना निम्नानुसार है:
 - a. नए तथ्यों का पता चलने पर MoDOT अपने आरंभिक निर्धारण पर दोबारा विचार करेगा।
 - b. यदि शिकायतकर्ता MoDOT द्वारा किए गए निर्धारण और/या समाधान से संतुष्ट नहीं होता है, तो इसी शिकायत को जांच के लिए Missouri मानवाधिकार आयोग, समान रोजगार अवसर आयोग, फ़ेडरल ट्रांजिट एडमिनिस्ट्रेशन (FTA), फ़ेडरल हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन (FHWA), फ़ेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA), या फ़ेडरल मोटर कैरियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (FMCSA) जैसी उचित राज्य या संघीय एजेंसी में सीधे दर्ज किया जा सकता है।
11. शिकायत प्राप्त होने के 120 दिनों के भीतर शिकायत और MoDOT के निष्कर्षों के पत्र की एक प्रतिलिपि उचित USDOT संघीय एजेंसी में दर्ज की जाएगी।
12. शिकायत और इसके समाधान के सारांश को शीर्षक VI अपडेट्स के भाग के रूप में शामिल करके उचित USDOT संघीय एजेंसी में भेजा जाएगा।
13. शीर्षक VI जाँच रिपोर्ट्स को तीन वर्षों तक रखा जाएगा और अनुपालन समीक्षा ऑडिट के लिए इन्हें उपलब्ध करवाया जाएगा।